मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 73-46/2006/20-3, भोपाल, दिनांक

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत बिहार, नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था दिल्ली पब्लिक स्कूल ए.बी. रोड रायरू जिला ग्वालियर को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत्।

=====

राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था-दिल्ली पब्लिक स्कूल ए.बी. रोड रायरू जिला ग्वालियर को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है:-

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाऐं स्थापित हो चुकी है, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सके इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये।

(2) विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया जाये।

(3) इन संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।

निरंतर..2पर

Principal
Delhi Public School
Gwalior

For Delhi Public School Gwalior
Manager

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी म.प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का वचन-पत्र संस्था से प्राप्त किया जायेगा ।

5. संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा ।

6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहायोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे ।

7. अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे । शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा ।

8. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तकें एवं लेखन सामग्री खुली बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी । किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी ।

9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा ।

10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल.पी.जी. आदि से संचालित नहीं किया जायेगा ।

निरंतर. 3पर

Principal
Delhi Public School
Gwalior

For Delhi Public School Gwalior
Manager

11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा । कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी । इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

12. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्ही पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर. आर. अहिरवार)
अवर सचिव
म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 73- 46 /2006/20-3, भोपाल, दिनांक 27/6/06

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म. प्र. भोपाल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- ग्वालियर म.प्र. । - - - - - - -
3. प्राचार्य, अशासकीय शिक्षण संस्था- दिल्ली पब्लिक स्कूल ए.बी.-रोड-रायरू जिला ग्वालियर म.प्र. । - - - - - - - - - - - - - - - -
4. आर्डर बुक ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

27/6/06
अवर सचिव
म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Principal
Delhi Public School
Gwalior

For Delhi Public School Gwalior
Manager

NOC

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/विद्या/टी/33/2006-07/ भोपाल, दिनांक

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला — ग्वालियर
मध्यप्रदेश ।

विषयः— अशा. शिक्षण संस्था. दिल्ली पब्लिक स्कूल ए.बी.रोड जिला
जिला... ग्वालियर... मध्यप्रदेश का सी.बी.एस.ई. अनापत्ति बाबत ।

संदर्भः— जिला शिक्षा अधिकारी..... ग्वालियर... मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक
.3429 / /06, दिनांक ... 7/6/06.

—=00=—

जिला शिक्षा अधिकारी... ग्वालियर... मध्यप्रदेश द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्था.. दिल्ली पब्लिक स्कूल ए.बी.रोड जिला ग्वालियर... का प्रस्ताव सी.बी.एस.ई. अनापत्ति हेतु इस कार्यालय को भेजा गया है । प्रकरण का परीक्षण करने पर तथ्य निम्नानुसार निरीक्षण प्रपत्र पर अंकित हैं :—

01/ विद्यालय/सोसायटी के पास लगभग 2 दो एकड़ भूमि अवश्य हो तथा भूमिके एक भाग में भवन का निर्माण किया जाये । शेष बची हुई जमीन पर उचित खेल का मैदान हो । ऐसे महानगर में जनसंख्या 25 लाख से अधिक है । जमीन एक एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए तथा उस पर उपयुक्त भवन हो और बोर्ड की संतुष्टि के लिए शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने और खेलकूद का आयोजन करने के लिए अन्य संगठन/संस्थाओं द्वारा सहयोग की व्यवस्था हो । पट्टे के मामले में इसे तब स्वीकृत किया जायेगा जब यह कम से कम 30 वर्ष की अवधि के लिए हो। (भूमि संबंधी समस्त साक्ष्य संलग्न किये जायें)

02/ यदि स्कूल सोसायटी ने हाल में ही जमीन प्राप्त की हो और वह स्कूल भवन का निर्माण करने में समर्थ न हों तो कम से कम भवन का एक हिस्सा बनाकर उसमें स्कूल का एक हिस्सा कार्यरूप में वहां स्थानान्तरित कर दिया जाए तथा शेष कक्षाओं को किराये वाले भवन में ही जो एक छोटा प्लाट है अथवा पहले से बनाये गये भवन के शेष भाग के निर्माण तक जारी रखा जाये ऐसे मामलों में विद्यालय के भवन के शेष भाग के निर्माण हेतु पर्याप्त साधनों के प्रमाण स्वरूप दस्तावेज भी अवश्य जमा करायें ।

03/ जो ट्रस्ट/सोसायटी/प्रबंधक विद्यालय चला रहे हों उनका उस पर स्वामित्व

निरंतर-2-

Principal
Delhi Public School
Gwalior

For Delhi Public School Gwalior.
Manager

व अधिकार नहीं होना चाहिए । सदस्यों की सूची भेजी जाये जिसमें उनके पते व्यवसाय शैक्षणिक योग्यताएं और अध्यक्ष/सचिव की ओर से जारी एक शपथपत्र भेजा जाये जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि सदस्यों का एक दूसरे से क्या संबंध है अथवा क्या संबंध नहीं है इस आशय का शपथपत्र प्रथमश्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित होना चाहिए ।

04/ विद्यालय के पास मान्यता के उपनियमों के भाग (9) में दिये गये बोर्ड के मानक के अनुसार सुयोग्य स्टाफ होना चाहिए ।

05/ विद्यालय अपने स्टाफ को राज्य सरकार के विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के अनुरूप वेतनमान व अन्य भत्ते अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान व अन्य भत्ते राज्य सरकार के विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरूप वेतन से कम नहीं दे । विदेशों के भत्ते के साथ केन्द्रिय विद्यालय संगठनों के वेतनमान दिये जायें (कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन की जानकारी के उनके नाम के सम्मुख अंकित कर संलग्न करें) भाग-दो शासनादेश दिनांक 31-01-2006 द्वारा निर्धारित अर्हताएं ।

06/ प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं । उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल को मिल सके इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रतिनिधि अधिकारी का नामांकित किया जाये ।

07/ विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य शिक्षकों को गतिविधियों के लिए खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे । इस हेतु संस्था से वचनपत्र लिया जाये ।

08/ इन संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा ।

09/ केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से संबद्धता मिलने के उपरांत भी मध्यप्रदेश राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने के लिए संस्था बाध्य होगी । पालन करने का वचनपत्र संस्था से प्राप्त किया जायेगा ।

10/ संस्था के प्रबंधकारिणी समिति में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा ।

11/ प्रदेश के खेल आयोजनों सांस्कृतिक आयोजनों विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे ।

Principal
Delhi Public School
Gwalior

For Delhi Public School Gwalior
Manager

निरंतर-3-

18 3 11

12/ शासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा समय प्रकाशित किये जायेंगे । शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा ।

13/ छात्र/छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तकों एवं लेखन सामग्री खुली बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी । दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी ।

14/ शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्निशमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले समस्त निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा ।

15/ संस्था के छात्रों उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापस निवास तक भेजने के लिए परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का उपयोग ही किया जायेगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किए जाने वाले वाहनों को किसी भी ज्वलनशील साधन जैसे घरेलु एल.पी.जी. आदि से संचालित नहीं किया जायेगा ।

16/ निःशक्त छात्रों के लिए संस्था को रैम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा । कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगी । इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

17/ संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किसी पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी ।

18/ राज्य शासन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्न स्थितियों में समाप्त किया जा सकेगा :-

1- उपयुक्त अनुसार समस्त निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है ।

2- राज्य शासन द्वारा अधिकृत अधिकारियों के निरीक्षण में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तथा निरीक्षण नहीं करने दिया जाता है ।

3/ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है ।

4/ यदि संस्था राष्ट्र के प्रति विरोधात्मक गतिविधियों में संलग्न पायी जाती है ।

5/ समाज के विभिन्न समुदायों में घृणा एवं वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास

Principal
Delhi Public School
Gwalior

For Delhi Public School Gwalior
Manager

// 4 //

6- शांति पूर्वक शैक्षणिक कार्यों में व्यवधान डालते हुए संस्था की प्रबंध समिति विवादग्रस्त है ।

7- संस्था ऐसे कार्यों में आचरण करते पायी जाती है जो शासन के राह में अवैधानिक है ।

19/ संस्था का निरीक्षण प्रतिवेदन ।

20/ जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय में अग्निशमन यंत्र, स्कूल वाहन व्यवस्था निःशुल्क एवं निशक्त छात्रों को सुविधा के संबंध में संस्था

20/ द्वारा प्रस्तुत किया गया शपथपत्र पर्याप्त नहीं माना जावेगा । इन बिन्दुओं पर आप अथवा अधिकृत अधिकारी का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा ।

21/

22/

Principal
Delhi Public School
Gwalior

कृते: आयुक्त लोक शिक्षण
म0प्र0

पृ0क्र0/विमा/टी/ 32 /सीबीएसई/2006-07/ 893 भोपाल, दिनांक 20/6/06

प्रतिलिपि:-

प्राचार्य, अशा0संस्था... दिल्ली पब्लिक स्कूल ए0बी0रोड ग्वालियर जिला... ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

For Delhi Public School Gwalior
Manager

कृते: आयुक्त लोक शिक्षण
म0प्र0